राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की शैक्षिक ऋण योजना

मंत्रालय

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन एम डी एफ सी) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है।

परिचय और लाभ

एन एम डी एफ सी अल्पसंख्यक समुदायों के पात्र लोगों को रोज़गारोन्मुखी नौकरियां दिलवाने में मदद के उद्देश्य से शैक्षिक ऋण प्रदान करता है।

- इस योजना के तहत अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि वाले तकनीकी एवं अन्य पेशेवर पाठ्यक्रमों के लिए 20 लाख रूपये तक की धनराशि 4 लाख रूपये प्रतिवर्ष की दर से उपलब्ध करायी जाती है।

- विदेशी पाठ्यक्रमों के मामले में अधिकतम पांच वर्षो की अवधि वाले पाठ्यक्रमों के लिए 6 लाख रूपये प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 30 लाख रूपये उपलब्ध कराये जाते हैं। ब्याज की दर निम्नलिखित है:

    - लाभार्थियों को ऋण प्रदाय के लिए 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष, पुरुष लाभार्थियों को 8 प्रतिशत प्रतिशत और महिलाओं लाभार्थियों को 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से।
    - ऋण पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद अधिकतम पांच वर्षों में चुकाना होता है

क्र.सं.	पैमाना	योजना का विवरण
1	**ऋण राशि अधिकतम**	प्रति लाभार्थी धनराशि :– ? 20 लाख तक, भारत में 'पेशेवर और रोजगारोन्मुखी' डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम 5 वर्षो के लिए ? 4 लाख प्रतिवर्ष की दर से। –? 30 लाख तक, 'विदेश में पाठ्यक्रमो' के लिए अधिकतम 5 वर्षो के लिए ? 6 लाख प्रतिवर्ष की दर से।
2	ब्याज दर पुरुष लाभार्थियों के लिए ब्याज दर महिला लाभार्थियों के लिए	8: प्रतिवर्ष 5: प्रतिवर्ष
3	**एस सी ए के लिए ब्याज दर**	2: प्रतिवर्ष
4	ऋण अदायगी में छूट की अवधि	पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद छः महीने या नौकरी मिलने पर, जो भी पहले हो।
5	**एस सी ए को ऋण स्वीकार करने का प्रदत्त अधिकार**	**एस सी ए को जमीनी वास्तविकता के आधार पर ऋण स्वीकृत/वितरित करने की सलाह दी जाती है।**
6	लाभार्थियों के लिए ऋण चुकाने की अवधि	5 वर्ष

पात्रता

- हथकरघा और हस्तशिल्प कारीगर
- उन्हें अनिवार्य रूप से अल्पसंख्यक समुदाय : मुस्लिम, ईसाइ, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन से होना चाहिए
- आवेदक की वार्षिक आय :
    - ग्रामीण क्षेत्र में रू. 81,000/– से कम और,
    - शहरी क्षेत्र में रू. 1,03,000/– से कम होनी चाहिए

आवेदन कैसे करें

स्थानीय कार्यदायी संस्था से संपर्क करें। संस्थाओं की सूची उनके संपर्क विवरण के साथ नीचे दी गयी है: